28/1/21

कैलाश

[illegible]

पत्रावली पेश हुई। वादी कैलाश पुत्र चन्दा द्वारा प्रा०पत्र वास्ते विड्रा करने वाद विनाजत स्थायी निषेधाज्ञा मु०नं० 125/16 नवीन नं० 141/21 व मु०नं० 82/17 पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थी/वादी कैलाश पुत्र चन्दा की पहचान वकील वादी पंकज कुमार शर्मा द्वारा की गई। प्रार्थी/वादी कैलाश चन्द मीना पुत्र चन्दा मीना द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वे अपने वाद को आगे चलाना नहीं चाहते। अतः वाद वादी विड्रा करावे। प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा पर प्रार्थी/वादी को नोटेड करवाया गया। वकील वादी पंकज शर्मा से Identify करवाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में न्यायालय को कोई एतराज नहीं है। अतः न्यायहित में प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वाद वादी विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं० से कम हो दाखिल दफ्तर हो।